

झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक, 2023



सत्यमेव जयते

2023

झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक, 2023

विषय सूची

धाराएँ ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।
2. 2022-23 वर्ष के लिये झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 4546,27,00,000 (चार हजार पाँच सौ छियालीस करोड़ सताईस लाख) रुपये की निकासी।
3. विनियोग।

अनुसूची।

झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक, 2023

झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहतरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -
 - (i) यह अधिनियम झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) अधिनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
 - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा।
 - (iii) यह 1ली अप्रैल, 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 2022-23 वर्ष के लिए झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 4546,27,00,000 (चार हजार पाँच सौ छियालीस करोड़ सत्ताईस लाख) रुपये की निकासी।- झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के बारे में, 1ली अप्रैल, 2022 को शुरू होनेवाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 4546,27,00,000 (चार हजार पाँच सौ छियालीस करोड़ सत्ताईस लाख) रुपये, जो अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अधिक न होंगे, निकासी की जा सकेगी।

3. विनियोग।- इस अधिनियम के द्वारा झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियाँ 1ली अप्रैल, 2022 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष से 31वीं मार्च, 2023 तक संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके संबंध में विनियोजित की जायेंगी।

अनुसूची / Schedule					
(धाराएं 2 और 3 देखें / See Article 2 & 3)					
मांग/विनियोग Demand/ Appropriation	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग / Services of Demand or Appropriation	राजस्व/पूंजी Revenue/ Capital	अनाधिक राशियां / Amount not to exceed		
			झारखंड विधान सभा द्वारा दिए गए अनुदान / Grants approved by the Jharkhand Assembly	राज्य की संचित निधि पर प्रभृत / Charged on the State Consolidated Fund	योग / Total
			मतदेय/Voted	प्रभृत/Charged	
1	2	3	4	5	6
01	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Agriculture Division)	राजस्व/Revenue	12,90,39,000		12,90,39,000
		पूंजी/Capital			
02	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Animal Husbandry Division)	राजस्व/Revenue	3,02,09,000		3,02,09,000
		पूंजी/Capital			
03	भवन निर्माण विभाग Building Construction Department	राजस्व/Revenue			1,00,00,00,000
		पूंजी/Capital	1,00,00,00,000		
04	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग) Cabinet Secretariat and Vigilance Department (Cabinet Secretariat and Co- ordination Division)	राजस्व/Revenue	2,96,00,000		2,96,00,000
		पूंजी/Capital			
05	राज्यपाल सचिवालय Secretariat of the Governor	राजस्व/Revenue		52,000	52,000
		पूंजी/Capital			
06	मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग Cabinet (Election) Department	राजस्व/Revenue	21,67,64,000		21,67,64,000
		पूंजी/Capital			
09	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Co-operative Division)	राजस्व/Revenue			10,00,00,000
		पूंजी/Capital	10,00,00,000		
10	ऊर्जा विभाग Energy Department	राजस्व/Revenue	5,20,14,50,000		6,45,14,50,000
		पूंजी/Capital	1,25,00,00,000		
12	वित्त विभाग Finance Department	राजस्व/Revenue	6,46,648		6,46,648
		पूंजी/Capital			
15	पेंशन Pension	राजस्व/Revenue	4,00,00,00,000		4,00,00,00,000
		पूंजी/Capital			

17	वाणिज्यकर विभाग Commercial Tax Department	राजस्व/Revenue	2,35,65,000		2,35,65,000
		पूंजी/Capital			
18	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग Food, Public Distribution and Consumer Affairs Department	राजस्व/Revenue	14,01,360		14,01,360
		पूंजी/Capital			
19	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग Forest, Environment and Climate Change Department	राजस्व/Revenue	1,12,73,60,000		1,12,73,60,000
		पूंजी/Capital			
20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग Health, Medical Education and Family Welfare Department	राजस्व/Revenue	3,27,90,62,000		3,27,90,62,000
		पूंजी/Capital			
21	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग) Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)	राजस्व/Revenue	33,00,00,000		33,00,00,000
		पूंजी/Capital			
22	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) Home, Jail and Disaster Management Department (Home Division)	राजस्व/Revenue	1,52,87,80,992		1,72,32,24,992
		पूंजी/Capital	19,44,44,000		
23	उद्योग विभाग Industries Department	राजस्व/Revenue	4,06,98,000		1,22,00,98,000
		पूंजी/Capital	1,17,94,00,000		
24	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग Information and Public Relation Department	राजस्व/Revenue	27,59,03,000		27,59,03,000
		पूंजी/Capital			
26	श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग Labour, Employment, Training and Skill Development Department	राजस्व/Revenue	38,61,000		38,61,000
		पूंजी/Capital			
27	विधि विभाग Law Department	राजस्व/Revenue	6,07,00,000		6,07,00,000
		पूंजी/Capital			
28	झारखण्ड उच्च न्यायालय High Court of Jharkhand	राजस्व/Revenue		1,26,50,000	1,26,50,000
		पूंजी/Capital			
30	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग) Scheduled Tribe, Scheduled Caste, Minority and Backward Class Welfare Department (Minorities Welfare Division)	राजस्व/Revenue	11,72,000		60,17,37,000
		पूंजी/Capital	60,05,65,000		

31	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग) Cabinet Secretariat and Vigilance Department (Parliamentary Affairs Division)	राजस्व/Revenue	10,00,000		10,00,000
		पूंजी/Capital			
32	विधान सभा Legislative Assembly	राजस्व/Revenue	2,62,34,000		2,62,34,000
		पूंजी/Capital			
33	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग) Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha Department (Personnel and Administrative Reforms Division)	राजस्व/Revenue	9,00,000		9,00,000
		पूंजी/Capital			
35	योजना एवं विकास विभाग Planning and Development Department	राजस्व/Revenue	24,68,00,000		24,68,00,000
		पूंजी/Capital			
36	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग Drinking Water and Sanitation Department	राजस्व/Revenue	56,29,000		31,57,06,000
		पूंजी/Capital	310077000		
38	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग) Revenue, Registration and Land Reforms Department (Registration Division)	राजस्व/Revenue	90,00,000		90,00,000
		पूंजी/Capital			
39	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) Home, Jail and Disaster Management Department (Disaster Management Division)	राजस्व/Revenue	61,51,70,000		61,51,70,000
		पूंजी/Capital			
40	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग) Revenue, Registration and Land Reforms Department (Revenue and Land Reforms Division)	राजस्व/Revenue	24,76,00,000		24,76,00,000
		पूंजी/Capital			
41	पथ निर्माण विभाग Road Construction Department	राजस्व/Revenue	13,21,000		3,65,13,21,000
		पूंजी/Capital	3,65,00,00,000		
42	ग्रामीण विकास विभाग Rural Development Department	राजस्व/Revenue	1,36,09,23,000		1,36,09,23,000
		पूंजी/Capital			

43	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा प्रभाग) Higher and Technical Education Department (Technical Education Division)	राजस्व/Revenue	55,06,50,000	55,06,50,000
		पूंजी/Capital		
44	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग School Education and Literacy Department	राजस्व/Revenue	34,59,000	34,59,000
		पूंजी/Capital		
45	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग Information Technology and e-Governance Department	राजस्व/Revenue		84,00,00,000
		पूंजी/Capital	84,00,00,000	
46	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग) Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Tourism Division)	राजस्व/Revenue	8,00,00,000	8,00,00,000
		पूंजी/Capital		
48	नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) Urban Development and Housing Department (Urban Development Division)	राजस्व/Revenue	5,05,74,26,000	5,05,74,26,000
		पूंजी/Capital		
49	जल संसाधन विभाग Water Resources Department	राजस्व/Revenue		1,62,57,00,000
		पूंजी/Capital	1,62,57,00,000	
50	जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) Water Resources Department (Minor Irrigation Division)	राजस्व/Revenue		30,85,00,000
		पूंजी/Capital	30,85,00,000	
51	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग) Scheduled Tribe, Scheduled Caste, Minority and Backward Class Welfare Department (Scheduled Tribe, Scheduled Caste and Backward Class Welfare Division)	राजस्व/Revenue	3,69,78,08,000	4,70,01,72,000
		पूंजी/Capital	1,00,23,64,000	
52	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग) Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Art Culture, Sports and Youth Affairs Division)	राजस्व/Revenue	10,45,000	10,45,000
		पूंजी/Capital		

54	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग) Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Dairy Division)	राजस्व/Revenue	1,77,26,000		1,77,26,000
		पूंजी/Capital			
55	ग्रामीण कार्य विभाग Rural Works Department	राजस्व/Revenue			7,28,00,000
		पूंजी/Capital	72,80,00,000		
56	पंचायती राज विभाग Panchayati Raj Department	राजस्व/Revenue	36,48,000		36,48,000
		पूंजी/Capital			
58	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग) School Education and Literacy Department (Secondary Education Division)	राजस्व/Revenue	35,00,00,000		35,00,00,000
		पूंजी/Capital			
59	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग) School Education and Literacy Department (Primary and Adult Education Division)	राजस्व/Revenue	3,71,30,86,000		3,71,30,86,000
		पूंजी/Capital			
60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग Women, Child Development and Social Security Department	राजस्व/Revenue	38,45,61,000		39,13,11,000
		पूंजी/Capital	67,50,000		
योग /Total		राजस्व/Revenue	32,65,41,98,000	1,27,02,000	45,44,99,98,000
		पूंजी/Capital	12,79,58,00,000		1,27,02,000
महायोग / Grand Total			45,44,99,98,000	1,27,02,000	45,46,27,00,000

उद्देश्य और हेतु

राज्य की संचित-निधि से कोई राशि भारत का संविधान के अनुच्छेद-205 के उपबंधों के अधीन निमित्त विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं। ऐसी विधि में यह व्यवस्था रहेगी कि :-

(क) विधान-सभा द्वारा किये गये अनुदानों, और

(ख) राज्य की संचित-निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित कुल राशि राज्य की संचित-निधि में से विनियोजित की जायेगी।

वर्तमान विधेयक का उद्देश्य है कि राज्य की संचित-निधि में से 4546,27,00,000 (चार हजार पाँच सौ छियालीस करोड़ सत्ताईस लाख) रुपये की राशि का शोधन और विनियोग प्राधिकृत किया जाय, ताकि इक्कीसवीं मार्च, 2023 को समाप्त होनेवाले वर्ष में शोधन के दौरान आनेवाले भारों की पूर्ति की जा सके।

(डॉ० रामेश्वर उराँव)

भार-साधक सदस्य ।